THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI G. VENKATSWAMY): The Provident Fund Authorities have intimated as under:—

(a) 115 transport establishments in Madhya Pradesh region, including 15 in its backward areas have been covered under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 The Employees' Provident Fund Organisation is not aware of any coverable establishment which has not been covered under the Act

(b) Does not arise.

**केन्द्रीय सरकार की फैक्टरियों या कार्यालयों के लिए इमारती लकड़ी और बांस की खरीद**

2765. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार की फैक्टरियों और कार्यालयों के लिये कितनी इमारती लकड़ी और बांस खरीदा गया तथा उन निर्माताओं और फर्मों के नाम क्या है जिनसे यह माल खरीदा गया ,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा लकड़ी और बांस की खरीद के लिये मध्य प्रदेश के किसी सरकारी क्षेत्र के संस्थान के साथ बातचीत की गई थी , और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

**पूर्ति मंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) 3 विवरण, जिनमें (1) सागौन (टीक) तथा अन्य सख्त लकड़ी (2) नरम लकड़ी तथा (3) बांस से बनाई गई तम्बू की बल्लियों की पिछले 3 वर्षों में की गई खरीद की मात्रा और मूल्य तथा उन निर्माताओं और फर्मों के, जिनसे उक्त माल खरीदा गया नाम दिये गये है अनुलग्नक–1, 2 तथा 3 के रूप में सभा पटल पर रख दिये गये है। [ग्रंथालय मे रखे गये। देखिये संख्या LT/5371/73] ।

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने इमारती लकड़ी तथा बांस के सामान का कार्य करने वाले मध्य प्रदेश के किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम से बातचीत नहीं की। परन्तु ये बातचीत मध्य प्रदेश के मुख्य वन पाल (पूर्ति) के साथ की गई थी और उन्हें 13000 घनमीटर टीक तथा 3 000 घनमीटर सख्त लकड़ी के आर्डर दिये गये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ट्रैक्टर की मांग के बारे में प्रस्ताव**

2766. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1973–74 में ट्रैक्टरों की मांग के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है और

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)** : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि-सेवा केन्द्रों को ट्रैक्टरों का आवटन करने के लिये 30 ट्रैक्टरों का नियतन करने हेतु जनवरी 1973 में आवेदन दिया था ।

(ख) उनको 13–3–1973 को 30 इन्टरनेशनल ट्रैक्टरों का आवटन किया गया था ।